**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर**

**रिट याचिका (सेवा) क्रं 6766 / 2008**

**याचिकाकर्ता:** **बी.एल. केहरी**

**बनाम**

**ऊतरवादीगण :** **छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और अन्य**

29 जनवरी, 2010 को निर्णय उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें।

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री,

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर**

**रिट याचिका (सेवा) क्रं 6766 / 2008**

**याचिकाकर्ता:** **बी.एल. केहरी**

**बनाम**

**ऊतरवादीगण :** **छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और अन्य**

**(संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)**

**एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायधीश**

---

**याचिकाकर्ता की ओर से** श्री अर्जुन यादव।

**राज्य की ओर से** श्री एन.एन. रॉय, पैनल अधिवक्ता।

---

**<u>आदेश</u>**

**<u>(29 जनवरी, 2010 को घोषित किया गया)</u>**

1. इस याचिका में आदेश दिनांक 21-6-2007 (अनुलग्नक पी/6) को चुनौती दी गई है, जिसके तहत पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर, ने एक वेतन वृद्धि को संचयी प्रभाव से रोकने की दंड अधिरोपित किया था, जिसका भविष्य की वेतन वृद्धियों, पेंशन आदि पर परिणामी असर पड़ा। याचिकाकर्ता ने आदेश दिनांक 15-07-2008 (अनुलग्नक- पी/8) को भी चुनौती दी है, जिसके द्वारा पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, रायपुर, ने पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की और याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

2. मामले के न्यायनिर्णयन के लिए प्रासंगिक तथ्य, संक्षेप में, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, यह है कि याचिकाकर्ता उस समय पुलिस निरीक्षक, बोधघाट, बस्तर जिले के रूप में कार्यरत था। डॉ. प्रताप अग्रवाल, अधिवक्ता, जगदलपुर द्वारा 11/12-6-2006 को भवन निर्माण सामग्री की चोरी के संबंध में एक परिवाद की गई थी। लिखित परिवाद जाँच के लिए हेड कांस्टेबल नामतः श्री रामदेव राठिया को सौंपी गई थी। बाद में यह पाया गया कि श्री राठिया को सौंपी गई लिखित परिवाद कार्यालय में खो गई थी और, इस प्रकार, श्री राकेश दास द्वारा 20-6-2006 (अनुलग्नक पी/2) को एक और परिवाद दर्ज की गई थी। यह पाए जाने पर कि पुलिस निरीक्षक, बोधघाट द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, मामले की सूचना पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ को दी गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर, को याचिकाकर्ता के विरूद्ध प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया गया था। जांच में, याचिकाकर्ता को बुलाया गया था और उसकी उपस्थिति में अलमारी खोली गई थी और लिखित परिवाद मिली थी, जिसे राठिया को जांच करने के लिए सौंपा गया था। इसके बाद, मामला 03-07-2006 को भारतीय दंड संहिता की धारा 456 सहपठित धारा 34 के तहत अपराध क्रमांक 221/2006 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता को अनुलग्नक- पी/3 के माध्यम से पुलिस विनियमों के प्रावधानों के तहत कदाचार करने के लिए आरोप पत्र दिया गया था। याचिकाकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने जांच में भाग लिया और उक्त जांच में याचिकाकर्ता के विरुद्ध विरचित सभी आरोप सिद्ध पाए गए। जांच के आधार पर उपर्युक्त दंड अधिरोपित की गई थी। इस प्रकार, यह याचिका दायर की गई है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादव ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता ने परिवाद प्राप्त होने पर उसी को हेड कांस्टेबल नामतः श्री राठिया को मामले की जांच के लिए सौंप दिया था, जिसने लिखित परिवाद को कहीं और रख दिया। परिवादी ने दो अलग-अलग रिपोर्ट दर्ज कीं, अर्थात एक 11/12-6-2006 को और दूसरी 20-06-2006 को। दोनों रिपोर्ट अलग-अलग हैं और यहां तक कि संपत्ति का मूल्य भी अलग-अलग दिखाया गया है और, इस प्रकार, मामला दर्ज नहीं किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने 12-11-1997 के एक परिपत्र (अनुलग्नक- पी/9) पर अवलंब लिया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रावधान दिया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के मामलों पर विचार करते समय, अनुशासकीय प्राधिकारियों को दण्ड अधिरोपित करने में उदार होना चाहिए, जिसे अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया था। अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पिछले अभिलेख और आचरण पर विचार करने में विफल रहे। इस प्रकार, दंड अधिरोपित करने वाले आक्षेपित आदेश के अभिखंडित किया जा सकता है ।

5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रॉय ने निवेदन किया कि गंभीर परिवाद के बावजूद, याचिकाकर्ता ने मामला दर्ज नहीं किया है और कार्यवाही संस्थित नहीं की है। यह याचिकाकर्ता की ओर से एक गंभीर चूक थी, जो पुलिस विभाग का एक जिम्मेदार अधिकारी है। जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच सम्पन्न की गई थी, तो यह पाया गया था कि लिखित परिवाद अलमारी में पड़ी थी, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता के विरुद्ध अधिरोपित सभी गंभीर आरोप सिद्ध पाए गए थे। याचिकाकर्ता ने वर्तमान में अधिरोपित दंड से पहले किसी भी अनियमितता, अवैधता या अवसर की कमी के आधार पर विभागीय जांच को चुनौती नहीं दी है। पहले याचिकाकर्ता पर 48 लघुशास्ति और 1 दीर्घशास्ति अधिरोपित भी गई थी। एक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लिया गया है और, इस प्रकार, भविष्य की वेतन वृद्धियों पर संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अभिवचनों और उससे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

7. कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई थी। तदनुसार, निम्नलिखित आरोपों पर एक आरोप पत्र जारी किया गया था:

" आरोप

1. दिनांक 11 एवं 12-0 6-06 की दरयानी रात डॉ. प्रताप नारायण अग्रवाल के गोडाउन से भवन निर्माण सामग्री चोरी होने की लिखित सूचना डॉ. प्रताप नारायण अग्रवाल के जूनियर अधिवक्ता श्री राकेश द्वारा दिनांक 12.06.06 को थाना बोधघाट में प्रस्तुत करने पर चोरी जैसे संज्ञेय अपराध की कायमी तत्काल न कर पुलिस रैग्युलेश्न के भाग-06, अध्याय-01 के नियम 710 का स्पष्ट उल्लंघन करना।
2. दिनांक 20.06.06 को श्री राकेश द्वारा थाना बोधघाट जाकर आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही के संबंध में पूछताछ करने पर आवेदन पत्र गुम हो जाने की झूठी सूचना देकर दूसरा आवेदन पत्र तैयार कर प्रस्तुत करने कहकर गुमराह करने का प्रयास करना तथा आवेदक डॉ. प्रताप नारायण अग्रवाल द्वारा दिनांक 21.6.06 को श्री रोहित कुर्रे, अति. पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर के समक्ष उपस्थित होकर लिखित परिवाद पत्र प्रस्तुत करने पर श्री रोहित कुर्रे, अति. पु. अ. जगदलपुर द्वारा दूरभाष से निरीक्षक बी. एल. केहरी के प्रकरण में अपराध कायम कर विवेचना करने निर्देशित करने के उपरांत भी अपराध कायम न कर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना कर कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरतकर कदाचार प्रदर्शित करना ।
3. दिनांक 03.07.06 को उप निरीक्षक अशोक शर्मा द्वारा थाने की अलमारी खोले जाने पर श्री राकेश दास द्वारा दिनांक 12.06.06 को थाना बोधघाट में प्रस्तुत प्रथम आवेदन पत्र निरीक्षक बी. एल. केहरी की फाईल से प्राप्त होना । इस प्रकार निरीक्षक बी. एल. केहरी थाना प्रभारी, बोधघाट द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन न कर अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप चोरी जैसे संज्ञेय अपराध का प्रथम सूचना पत्र 21 दिन बाद दिनांक 03.07.06 को दर्ज होना । "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. आरोप पत्र आरोपों के अभियोग, दस्तावेजों की सूची और साक्ष्य की सूची के साथ जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने जांच में भाग लिया, क्योंकि याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि जांच में कोई दोष था। जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्पन्न की गई थी। जांच में यह पाया गया कि सभी आरोप पूरी तरह से सिद्ध पाए गए। इसके बाद, 23-03-2007 (अनुलग्नक- पी/5) को याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट के साथ दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता ने दूसरे कारण बताओ नोटिस पर भी अपना जवाब प्रस्तुत किया।

9. याचिकाकर्ता के जवाब एवं जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, अनुशासनिक प्राधिकारी ने, जांच रिपोर्ट से सहमत होते हुए, 21-06-2007 के आदेश द्वारा दंड अधिरोपित की गई । इसके बाद, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, रायपुर के समक्ष अपील दायर की गई, जिसे 15-07-2008 के आदेश (अनुलग्नक- पी/8) द्वारा खारिज कर दिया गया।

10. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और दस्तावेजों का अवलोकन करने पर, यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता एक आदतन चूककर्ता था और अतीत में कदाचार करने के लिए, वर्तमान आदेश पारित होने से पहले उस पर 48 लघुशास्ति दंड और 1 दीर्घशास्ति अधिरोपित गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. याचिकाकर्ता की ओर से लापरवाही की प्रकृति को देखते हुए, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अधिकारियों ने 12-11-1997 के परिपत्र के आलोक में उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। स्वीकृत रूप से, जांच रिपोर्ट को कोई चुनौती नहीं दी गई है और, इस प्रकार, जांच रिपोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है।

12. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि मामला दर्ज नहीं किया जा सका, क्योंकि दोनों परिवाद अलग-अलग थीं और एक-दूसरे के विपरीत थीं, इस सरल आधार पर अपास्त किए जाने योग्य है कि जब भी पुलिस स्टेशन में कोई परिवाद दर्ज की जाती है, तो पुलिस थाना-प्रभारी का यह दायित्व है कि वह एक मामला दर्ज करे और मामले की जांच करे। उचित कारण बताए बिना याचिकाकर्ता की ओर से विफलता के कारण एक विभागीय जांच हुई। जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सम्पन्न की गई थी और याचिकाकर्ता को उपर्युक्त सभी 3 आरोपों में दोषी पाया गया था।

13. ***स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य बनाम मन मोहन नाथ सिन्हा एवं अन्य***[1] में, जहाँ उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों द्वारा पारित दंडादेश को अभिखंडित कर दिया था, उच्चतम न्यायलय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया:

> "14. विभागीय जांच से निपटने में न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा इस न्यायालय के समक्ष *स्टेट ऑफ ए.पी. बनाम चित्रा वेंकट राव* में विचार के लिए आया और इस न्यायालय ने माना: (एससीसी पृष्ठ 562-63, पैरा 21 और 23-24)
>
> '21. उच्च न्यायालय एक लोक सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच समन्न करने वाले प्राधिकारियों के निर्णय पर अनुच्छेद 226 के तहत अपील की न्यायालय नहीं है। न्यायालय यह निर्धारित करने से संबंधित है कि क्या जांच उस ओर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पन्न की जाती है और उस ओर से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, और क्या प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। दूसरा, जहाँ कुछ साक्ष्य हैं जिन्हें जांच सम्पन्न करने के कर्तव्य सौंपे गए प्राधिकारी ने स्वीकार कर लिया है और जो साक्ष्य यथोचित रूप से इस निष्कर्ष का समर्थन कर सकते हैं कि अपचारी अधिकारी आरोप का दोषी है, उच्च न्यायालय का कार्य साक्ष्य की पुनर्विलोकन करना और साक्ष्य पर एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं है। उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है जहाँ विभागीय अधिकारियों ने दोषी के विरुद्ध कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के नियमों के असंगत तरीके से या जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले सांविधिक नियमों के उल्लंघन में आयोजित की है या जहाँ अधिकारियों ने साक्ष्य और मामले के गुणों के लिए कुछ बाहरी विचारों से एक निष्पक्ष निर्णय तक पहुंचने से खुद को अयोग्य कर दिया है या खुद को अप्रासंगिक विचारों से प्रभावित होने दिया है या जहाँ निष्कर्ष उसके बहुत चेहरे पर इतना पूरी तरह से मनमाना और सनकी है कि कोई भी उचित व्यक्ति कभी भी उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था। विभागीय अधिकारी, यदि जांच अन्यथा ठीक से सम्पन्न की जाती है, तो तथ्यों के एकमात्र निर्णायक होते हैं और यदि कुछ कानूनी साक्ष्य हैं जिस पर उनके निष्कर्ष

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] (2009) 8 SCC 310

आधारित हो सकते हैं, तो उस साक्ष्य की पर्याप्तता या विश्वसनीयता एक ऐसा मामला नहीं है जिसे अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट के लिए एक कार्यवाही में उच्च न्यायालय के समक्ष बहस करने की अनुमति दी जा सकती है।

23. अनुच्छेद 226 के तहत उत्प्रेषण याचिका जारी करने का अधिकार क्षेत्र एक पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय इसे अपीलीय न्यायालय के रूप में प्रयोग नहीं करता है। साक्ष्य की सराहना के परिणामस्वरूप एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पहुंचे गए तथ्य के निष्कर्ष रिट कार्यवाही में फिर से नहीं खोले जाते या सवाल नहीं किए जाते हैं। विधि की एक त्रुटि जो रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट है उसे एक रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि को नहीं, हालांकि यह कितना भी गंभीर क्यों न लगे। एक न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, एक रिट जारी की जा सकती है यदि यह दिखाया जाता है कि उक्त निष्कर्ष को दर्ज करने में न्यायाधिकरण ने त्रुटिपूर्ण रूप से स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, या त्रुटिपूर्ण रूप से अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार कर लिया था जिसने विवादित निष्कर्ष को प्रभावित किया है। फिर से यदि तथ्य का एक निष्कर्ष कोई साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तो इसे विधि की एक त्रुटि माना जाएगा जिसे उत्प्रेषण याचिका द्वारा ठीक किया जा सकता है। न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत सुसंगत और भौतिक साक्ष्य निष्कर्ष को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त हैं। एक बिंदु पर प्रस्तुत साक्ष्य की पर्याप्तता या कमी और उक्त निष्कर्ष से निकाले जाने वाले तथ्य का अनुमान न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। देखिए सैयद याकूब बनाम के.एस. राधाकृष्णन।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने पूरे साक्ष्य का आकलन किया और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचा। उच्च न्यायालय ऐसा करने के लिए न्यायसंगत नहीं था। इस पहलू के अलावा कि उच्च न्यायालय इस आधार पर तथ्य के निष्कर्ष को सही नहीं करता है कि

साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, वर्तमान मामले में साक्ष्य जिसे न्यायाधिकरण द्वारा माना गया था, उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकालने के लिए जांचा नहीं जा सकता है कि कोई साक्ष्य नहीं है जो न्यायाधिकरण के निष्कर्ष को सही ठहराएगा कि उत्तरवादी ने यात्रा नहीं की। न्यायाधिकरण ने अपने निष्कर्षों के लिए कारण बताए। उच्च न्यायालय के लिए यह कहना संभव नहीं है कि कोई भी युक्तियुक्त व्यक्ति इन निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकता था। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की समीक्षा की, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया और फिर साक्ष्य को कोई साक्ष्य नहीं के रूप में निरस्त कर दिया। उत्प्रेषण की रिट जारी करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को ठीक यही नहीं करना चाहिए।"

15. विधि स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निर्णय के विरुद्ध निर्देशित नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया तक सीमित है। न्यायालय निर्णय के गुणों पर न्याय नहीं करता है। उच्च न्यायालय के लिए यह खुला नहीं है कि वह जांच अधिकारी के समक्ष अपीलीय न्यायालय के समान प्रस्तुत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन करे एवं अपने निर्णय पर पहुंचे । वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने साक्ष्य को जांचने में गंभीर त्रुटि की, जैसे कि यह एक अपीलीय न्यायालय थी। मामले पर विचार करने में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है और, हमारे विचारशील विचार में, मामले को विधि के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। इस छोटे से आधार पर, हम मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेजते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. ***रंजीत ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स***[2] में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि "न्यायिक पुनर्विलोकन आम तौर पर एक निर्णय के विरुद्ध निर्देशित नहीं होती है, बल्कि 'निर्णय लेने की प्रक्रिया' के विरुद्ध निर्देशित होती है।"

[2] (1987) 4 SCC 611

15. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, मैं इस मेरा मत है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

16. परिणामस्वरूप, रिट याचिका विफल होती है और तदनुसार खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण:

हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By---------- MANISH CHANDRAKAR